

date 19.02.2020

-भारत सरकार के एफ0एन0 नं0-11-268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11.

07.2014 में दी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या

2. प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वृक्ष का पातन निहित है/नहीं है।

4. प्रश्नगत मार्ग/रोड चौड़ीकरण हेतु पूर्व में भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से नहीं ली गयी है। यह शर्त लागू नहीं होती है।

6. प्रश्नगत प्रस्तावित रिटल आउटलेट के अन्दर चारों ओर बाउण्ड्री से 1.50 मीटर दूरी पर एक मीटर से 1.50 मीटर की दूरी पर हल्के छत्र वाले वृक्ष का रोपण किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है।

7. प्रश्नगत प्रस्तावित रिटल आउटलेट के आस पास रिक्त पड़े स्थानों, समपर्क मार्गों के बीच रिक्त स्थानों पर रोड सैपरेटर पर क्षतिपुरक वनीकरण के अतिरिक्त पौधों का रोपण किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है।

दिनांक : 29.6.2021

स्थान : बिजनौर

उप प्रजागीर कर्मचारी
उप वन प्रकाश
मजीराबाद

राजेश शर्मा
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
आबू का सुकबरा, केसर गंज
मेरठ पेट्रोल (ज.प.)
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
मेरठ ।

G.Rb
श्रीतरीय वन अधीकारा
धामपुर रेंज
सा०वा० प्रभाग बिजनौर

मजीबाबाय
भारत पेट्रो
Amol Ingle
Executive Engineering (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Limited
Abur, Wadgaonra, Kaiser Ganj
Mumbai - 400002 (U.P.)

Divisional Director
Social Forestry Division
BLUNOR